



दिनांक : 16 अगस्त, 2017

कार्यालय आदेश

विगत वर्षों की भौति सत्र 2017-18 में सीट वृद्धि हेतु आवेदित राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समयवधि के उपरान्त प्रस्तुत अभिलेखों के आलोक में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु मा० कुलपति जी ने विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 12क.26 के अधीन सहर्ष सीट वृद्धि अनुमन्य की है।

उपर्युक्त के आलोक में मा० कुलपति जी के आदेशानुसार स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय 60 से 80 तथा स्नातकोत्तर प्रायोगिक विषय में 33 प्रतिशत सीट वृद्धि अनुमन्य होगी जो किसी भी दशा में 40 से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त के आलोक में अधोलिखित महाविद्यालयों को सत्र 2017-18 हेतु उपर्युक्त व्यवस्थानुसार सीट वृद्धि की सुविधा अनुमन्य की जाती है उक्त के अतिरिक्त किया गया प्रवेश किसी भी दशा में विश्वविद्यालय को स्वीकार नहीं होगा :-

राजकीय महाविद्यालय

क्र०सं०	महाविद्यालय का नाम	विषय
1.	श्रीमती इन्दिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	U.G/P.G

अनुदानित महाविद्यालय

क्र०सं०	महाविद्यालय का नाम	विषय
1.	श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, बुलानाला, वाराणसी	U.G/P.G
2.	लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुगलसराय, चन्दौली	मात्र अनुदानित विषय

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय

क्र०सं०	महाविद्यालय का नाम	विषय
1.	नन्हकू राम महाविद्यालय, पटका गांव, मुड़िलाडीह, सोनभद्र	U.G/P.G
2.	अनुश्री महाविद्यालय, कैड़ा, सुरियावां, सं०र०न० भदोही	U.G/P.G
3.	स्वामी गोविन्दाश्रम महाविद्यालय, पैड़ापुर, मिर्जापुर	U.G/P.G

भवदीय,

कुलसचिव

पत्रांक : कु०स०-2 B स०अ०/12376/विधि आ०-32-सीट वृद्धि-2015/2017 तद् दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- वैयक्तिक सहायक, कुलपति - मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
- परीक्षा नियंत्रक। (परीक्षा गोपनीय/परीक्षा सामान्य)
- उपर्युक्त प्राचार्य/प्रबंधक, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय से कि उपरोक्त व्यवस्थानुसार सीट वृद्धि के सापेक्ष प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि इस आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कर दें।

कुलसचिव

1048

मात्र  
16-8-17